प्रेस नोट 28.10.2020

माफिया मुख्तार अंसारी अपराधिक गिरोह के तीन ठेकेदार माफियाओं के ठेका लाइसेंस निरस्त–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में मुख्तार अंसारी आपराधिक गिरोह के तीन ठेकेदारों द्वारा तथ्य को छिपाकर ठेकेदारी का लाइसेंस प्राप्त कर ठेकेदारी करनें वाले क्रमशः कमला सिह पुत्र स्व0 कपिलदेव सिंह निवासी भीटी थाना कोतवाली मऊ, श्रीमती माया सिंह पत्नी हजारी सिंह निवासी भीटी थाना कोतवाली मऊ तथा बृजनाथ सिंह पुत्र स्व0 शिवकरन सिंह निवासी आदेडीह थाना सरायलखंसी मऊ का ठेकेदारी लाइसेंस दिनांक 26.10.2020 को जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा निरस्त किया गया।

उल्लेखनीय है कि **कमला सिंह पुत्र स्व0 कपिलदेव सिंह निवासी भीटी थाना कोतवाली मऊ** को ठेकेदारी का लाइसेंस दिनांक 18.10.2019 को जारी हुआ था। लाइसेंस प्राप्त करने समय कमला सिह द्वारा शपथ पत्र में अपने पुत्र का अपराधिक इतिहास नहीं दर्शाया गया था। जबकि कमला सिंह के पुत्र जयप्रकाश सिंह के विरूद्ध मु0अ0सं0 144/19 धारा 419,420 भादवि0 तथा एनसीआर संख्या 30/19 धारा 504 भदावि0 का अभियोग पंजीकृत है। जांच में ज्ञात हुआ की कमला सिंह जिनकी उम्र 60 वर्ष के करीब है उनके नाम पर उनका पुत्र जयप्रकाश सिंह ठेकेदारी करता है।

श्रीमती माया सिंह पत्नी हजारी सिंह निवासी भीटी थाना कोतवाली मऊ का लाइसेंस दिनांक 12.12. 2017 को प्राप्त हो गया था। प्रार्थना पत्र देतें समय उक्त माया सिंह द्वारा अपने सगे–सम्बन्धियों पर अपराधिक मुकदमें न होने की बात की गयी जबकि उक्त माया सिंह के पति हजारी सिंह एक अपराधिक प्रवृति का आदमी है जिसके विरूद्ध थाना कोतवाली व थाना सरायलखंसी में कुल 06 मुकदमें पंजीकृत है तथा यह अपने पत्नी के नाम पर लाइसेंस बनाकर खुद ठेकेदारी करता है।

बृजनाथ सिंह पुत्र स्व0 शिवकरन सिंह निवासी आदेडीह थाना सरायलखंसी मऊ को लाइसेंस दिनांक 08.03.2018 को जारी हुआ था। जांच के दौरान पता चला कि बृजनाथ सिंह के द्वारा ठेकेदारी का कार्य न कर के उनके पुत्र श्री हजारी सिंह के द्वारा किया जाता है जबकि हजारी सिंह एक अपराधिक प्रवृति का आदमी है जिसके विरूद्ध थाना कोतवाली व थाना सरायलखंसी में कुल 06 मुकदमें पंजीकृत है तथा यह अपने पिता के नाम पर लाइसेंस बनवाकर खुद ठेकेदारी करता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि इनके द्वारा माफिया के नाम पर अन्य ठेकेदारों में दहशत बनाकर ठेकेदारी प्राप्त कर ली जाती थी।

06 जिला बदर अपराधी गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.10.2020 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा सरसेना से अनिल कुमार पुत्र वृजभान निवासी सरेसना थाना चिरैयाकोट मऊ, थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा शंकर देव राय पुत्र शिवदुलारे निवासी मादी दुल्लह थाना दोहरीघाट मऊ, थाना घोसी पुलिस द्वारा पंछी गौड़ पुत्र रामबचन, नागेन्द्र पुत्र लक्षु राम निवासीगण कुढनी, सन्नी राव पुत्र

नन्दलाल निवासी मानिकपुर असना थाना घोसी मऊ, थाना रानीपुर पुलिस द्वारा सुरेश राजभर पुत्र चन्द्रदीप राजभर निवासी खलीलपुर थाना रानीपुर मऊ को गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना सम्बन्धित पर धारा 3/10 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 28.10.2020 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दोरान थाना रानीपुर पुलिस द्वारा करहा रानीपुर मोड़ के पास से जरिये मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 372/20 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त अर्जुन पुत्र कैलाश निवासी जमुई थाना मुहम्मदाबाद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

उल्लेखनीय है कि उक्त अपराधी गो–तश्करी में संलिप्त था। जिसके विरूद्ध पूर्व में थाना रानीपुर पर मु0अ0सं0 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशुक्रूरता अधिनियम का अभियोग पंजीकृत है।

03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 28.10.2020 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 495/20 धारा 323,504,506,326,427 भादवि0 में वांछित अभियुक्त शिवम पुत्र अभिनन्दन, अभिनन्दन पुत्र चन्द्रबली निवासीगण करौली थाना दोहरीघाट मऊ, थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 784/20 धारा 34,308,504,506,452,427 भादवि0 में वांछित अभियुक्त राजकुमार पुत्र स्व0 नन्हक निवासी हरपुर थाना सरायलखंसी मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

झण्डा दिवस के अवसर पर दिनांक 21.10.2020 से दिनांक 31.10.2020 तक चलने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में आज दिनांक 28.10.2020 को पुलिस लाइन सभागार में एसआरडी सीनीयर सेकेण्डरी कालेज के बच्चों द्वार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस दौरान प्रतिसार निरीक्षक श्री विजय कुमार सिंह, स्कूल के अध्यापक एसएन तिवारी व पुलिस लाईन के अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रह कर बच्चों का उत्सावर्धन किया गया।